रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 7] नई दिल्ली, फरवरी 19—फरवरी 25, 2017, शनिवार/माघ 30—फाल्गुन 6, 1938
No. 7] NEW DELHI, FEBRUARY 19—FEBRUARY 25, 2017, SATURDAY/MAGHA 30— PHALGUNA 6, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग (बहु विध कार्य करने वाले कर्मचारी) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, (बहु विध कार्य करने वाले कर्मचारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उच्चतर शिक्षा विभाग, (बहु विध कार्य करने वाले कर्मचारी) पद भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में,

(क) स्तम्भ (4) के शीर्ष में निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् –

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Note applicable	**Group 'B' Department Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Director General, National Test House - Chairman 2. Director National Test House - Member 3. Senior most Scientist D, National Test House - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A-12018/03/2011 – NTH]
D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 58.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, आशुलिपिक श्रेणी –I, भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग राष्ट्रीय परीक्षण शाला, में आशुलिपिक श्रेणी- I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, (आशुलिपिक श्रेणी- I) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन-मैट्रिक्स में स्तर- पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आशुलिपिक श्रेणी-I	11*(2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' – अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-6 (35400 रु.-112400/-)	चयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष	20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, 80 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500 रुपये-81100/-रुपये) है में के ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-2 जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो और प्रोन्नति पर धारित किए जाने वाले पद के कर्तव्यों के क्षेत्र में 2 या 4 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो : परंतु ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से पूर्व प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, पर इस शर्त पर विचार किया जाएगा कि वे अपेक्षित प्रशिक्षण विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख के एक वर्ष के भीतर पूरा करेंगे। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनकी अपेक्षित द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष से, जो भी कम हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से या	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:** 1. ज्येष्ठतम वैज्ञानिक 'डी.', राष्ट्रीय परीक्षण शाला - अध्यक्ष 2. अवर सचिव या उप निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, उपभोक्ता मामले विभाग - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, श्रेणी -II, राष्ट्रीय परीक्षण शाला - सदस्य **विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:** 1. ज्येष्ठतम वैज्ञानिक 'डी.', राष्ट्रीय परीक्षण शाला - अध्यक्ष 2. अवर सचिव या उप निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, उपभोक्ता मामले विभाग - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, श्रेणी- II, राष्ट्रीय परीक्षण शाला - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

उस तारीख से, जिसको सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझा जाएगा। **प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन:** (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन कार्य कर रहे आशुलिपिक:- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए है; या (ii) जिन्होंने वेतन-मैट्रिक्स स्तर-4 (25500रु.-81100रु./-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की नियमित सेवा हो। **टिप्पण- 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण-2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुयक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण- 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

टिप्पण- 4: प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से या उस तारीख से, जिसको सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य वेतन मैट्रिक्स में स्तर के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।		

[फा.सं. ए.-12018/5/2014-एन.टी.एच.]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन.टी.एच.)

New Delhi, the 20th February, 2017

G.S.R. 58.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, National Test House, Stenographer Grade I Recruitment Rules, 2015, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade I in the National Test House, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.- (1).** These rules may be called the National Test House, (Stenographer Grade I) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**-The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc. .**- The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualification.**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Stenographer Grade – I.	11* (2017) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non – Gazetted, Ministerial.	Level – 6 (Rs.35400-112400/-)	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment , whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for promotees.	20% by promotion failing which by deputation, 80% by deputation or absorption.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Stenographer Grade II in the level - 4 in the pay matrix (Rs.25500-Rs.81100/-) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and have successfully completed the mandatory training of two or four weeks in the field duties of the promotional post: Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of the Departmental Promotion Committee shall also be considered	**1. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Senior most Scientist 'D', National Test House – Chairman (2) Under Secretary or Deputy Director, National Test House, Department of Consumer Affairs - Member (3) Administration Officer Grade II, National Test House – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

subject to the condition that the required training shall be completed within one year of the date of meeting of the Departmental Promotion Committee. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or two years whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation or absorption : (a) Stenographers under the Central Government or State Governments or Union territories, - (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years regular service rendered after appointment thereto on a regular basis in the level - 4 in the pay matrix (Rs.25500-Rs.81100/-) in the parent cadre or department. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	**2. Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-** (1) Senior most Scientist 'D', National Test House – Chairman (2) Under Secretary or Deputy Director, National Test House, Department of Consumer Affairs -Member (3) Administration Officer Grade II, National Test House – Member	

Note 2: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of application. **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common level in the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. A -12018/05/2014- NTH]
D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 59.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता, महानिदेशक, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में महानिदेशक के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता, महानिदेशक, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2017 है।